

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर
सुलतानगंज स्थित निगम बस पड़ाव की खाली भूखण्ड पर श्रावणो मेला के
अवसर पर अस्थाई दकान की बन्दोबस्ती हेतु निविदा सूचना

विज्ञापन सं०- 2290 दिनांक- 05.07.2018

आवश्यक सूचना

- (1) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागलपुर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत सुलतानगंज बस पड़ाव पर स्थित खाली भूखंड का बंदोबस्ती आगामी श्रावणी मेला के अवसर पर दिनांक 23.07.2018 से 22.09.2018 तक के लिए अस्थाई रूप से कॉवर आदि का दूकान या निजी बड़ी-छोटी गाड़ियों का पार्किंग शुल्क वसूली हेतु बंदोबस्ती की दूसरी अगली तिथि दिनांक 13.07.2018 को निर्धारित की गई है। बंदोबस्ती हेतु न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 2,44,950/- (दो लाख चोआलीस हजार नौ सौ पचास) मात्र निर्धारित किया गया है।
- (2) निविदा डाक के पूर्व अग्रधन के रूप में जमानत की राशि रु0 25,000/- (पचीस हजार) जमा करना होगा।
- (3) सफल बंदोबस्तकार की जमानत की राशि बंदोबस्ती की पूर्ण राशि से अलग होगा, जो बंदोबस्ती अवधि तक निगम में जमा रहेगा।
- (4) बंदोबस्तकार को एकरारनामा हेतु स्टाम्प राशि रु0 1,000/- (एक हजार) अलग से देना होगा।
- (5) निविदा डाक के पूर्व फोटो पहचान के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड एवं जिला पदाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक के द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (6) डाक बोलने के एक दिन पूर्व कार्यालय अवधि में जमानत की राशि एवं क्रमांक (5) पॉच पर अंकित सभी अभिलेख स्वयं अभिप्रमाणित प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर में जमा करना होगा।
- (7) दिनांक 13.07.2018 समय 11:30 बजे पूर्वाह्न में क्षेत्रीय प्रबंधक, भागलपुर के कक्ष में क्षेत्रीय स्तर के बंदोबस्ती समिति के सदस्य के समक्ष डाक बोलने की कार्यवाई होगी।
- (8) उच्चतम निविदा डाक वक्ता को ही बंदोबस्ती आदेश दिया जायगा। बंदोबस्ती की पूर्ण राशि एक मुश्त डाक की कार्यवाही पूर्ण होने पर बंदोबस्तकार को जमा करना होगा, अन्यथा बंदोबस्ती मान्य नहीं होगा।
- (9) बिना कारण बताए सभी निविदा को रद्ध करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।


क्षेत्रीय प्रबंधक
भागलपुर।